



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072025-264473
CG-DL-E-08072025-264473

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2976]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 2025/आषाढ़ 17, 1947

No. 2976]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 2025/ASHADHA 17, 1947

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2025

का.आ. 3043(अ).—केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति के नामांकन को अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	अधिनियम की धारा
1	सुश्री आर्द्धा अग्रवाल (आईएस), सचिव एवं आयुक्त, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग का कार्यालय, गांधीनगर, गुजरात	अधिनियम की धारा 4(3)(छ) के अंतर्गत गुजरात सरकार की सिफारिश पर नामित।

[फा. सं. 25011/02/2025-सिल्क]

पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2025

S.O. 3043(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following person to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name and designation	Section of the Act
1	Ms. Ardra Agarwal (IAS), O/o Secretary and Commissioner, Cottage and Rural Industries, Gandhinagar, Gujarat	Nominated on the recommendation of Govt. of Gujarat under Section 4(3) (g) of the Act.

[F. No. 25011/02/2025-Silk]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.